



1323

14-8-02

कार्यालय सब रजिस्ट्रार साहेब चरखी दादरी ।

किसम वसोका	मा लियत	स्टाम्प	किते	शाब्द
पट्टानामा मियादी 20 साला	8000/-	1000/-	2	440

11-8-02

मनके सा प्त्रि पत्नी सुभाचन्द पुत्र हरनाम सकना चरखी तहसील दादरी जिला भिवानी की हूँ जो कि मिन मुकरा खोवट नम्बर 867/817 छातीनी नम्बर 997 अराजी जरई तादादी 311 कनाल 6 मरला में 450/6282 हिस्सा क्रम 22 कनाल 5 मरला के जमाबन्दी साल 1998-99 वाका रकबा ग्राम चरखी तहसील दादरी जिला भिवानी की मा लिक व काबिज हूँ उक्त अराजी हर भार से पाक व साफ है मुझको उक्त अराजी की हर तरह परिवर्तन करने का हक हा तिल है मुझको वास्ते जरूरत खानगी अपनी उपरोक्त अराजी को पट्टा पर दिया जाना जरुरी है और जनहित ऐज्युकेशन सोसायटी चरखी तहसील दादरी जिला भिवानी को अपनी जरूरत के लिए स्कूल भवन व खेल मैदान बनाने की आवश्यकता है अतः मैं स्वस्था चित तथा स्थिर बुद्धि से बिना किसी जबर व दबाव के अपनी मरजी व खुशी से अपनी उपरोक्त अराजी तादादी 22 कनाल 5 मरला वाका रकबा ग्राम चरखी बदस्त जनहित ऐज्युकेशन सोसायटी चरखी संजीव कुमार पुत्र श्री सुभाचन्द पुत्र हरनाम नम्बर जनहित ऐज्युकेशन सोसायटी चरखी

1998

14-8-02
8000/-

Jambik Adhikari
Sunny Chaudhari
Dish Singh
Ashish Kumar Singh
(Sunny Chaudhari)
Chaudhari (Hd)

प्रलेख नः 1323 दिनांक 14/08/2002

यह प्रलेख आज दिनांक 14/08/2002 दिन बुधवार समय

श्री श्रीमती [Redacted] पुत्र श्री पत्नी सुभाचंद

वासी चरखी, च0 दादरी

द्वारा स्वीकार प्रस्तुत किया गया।

सर्वोक्त/उप पंजीयन अधिकारी
संयुक्त मंत्र रजिस्ट्रार
दादरी
चरखी दादरी

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया तथा प्रलेख में वर्णित राशि मु0 8,000 के लेन - देन को भी स्वीकार किया यह राशि मेरे सम्मुख श्री जनहित ऐज्युकेशन सोसायटी पुत्र श्री वासी चरखी, च0 दादरी द्वारा पेश की गई तथा दोनो पक्षो की पहचान श्री लालचंद नम्बरदार पुत्र श्री वासी चरखी, च0 दादरी व श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरजाराम ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/सरपंच/पंच/अधिवक्ता के रूप में जानते है तथा वह साक्षी नः2 की पहचान करता है।

दिनांक 14/08/2002



सर्वोक्त/उप पंजीयन अधिकारी
संयुक्त मंत्र रजिस्ट्रार
दादरी
चरखी दादरी



पट्टा नामा हस्त जल :-

1. यह कि मियाद पट्टा 20 साल मुकरर हुई है जो 14.8.2002 से शुरू होकर
 13.8.2022 को खतम होगी 2 यह कि जेर पट्टा 4000/- रुपये सालाना मुकरर हुआ है
 जो पट्टा गरिन्दा हर साल बअछाज रसोद अदा करता रहेगा, बजज रसोद अदायगी
 नही मानी जायेगी 3 यह कि पट्टा गरिन्दा को हक होगा कि वह इस अराजो में
 स्कूल के लिए भवन तैयार कर सकेगा व खोल का भेदान बना सकेगा और अपनी जरूरत
 के मुताबिक बिजली, पानपे का कनेक्शन ले सकेगा, मुझ पट्टा देहिन्दा को कोई रतराज
 ना छोडेगा 4 यह कि मियाद गुजरने पट्टा, पट्टा गरिन्दा अराजो जेर पट्टा को
 खाली करके कब्जा मुझ पट्टा देहिन्दा को देने का जम्मेवार होगा मुझ पट्टा गरिन्दा
 को कोई रतराज ना होगा अतः यह पट्टा नामा मियादो 20 साल लिखा दिया है कि
 सनद रहे और अकत जरूरत काम आवे। मिति. 14.8.2002

गवाह
ला लखन्द नम्बरदार
गांव



सा विनी - पट्टा देहिन्दा



जनहित ऐज्युकेशन
 सोसायटी चरखी
 बजरिये भेम्बर
 संजीव कुमार
 [Signature]

गवाह
 नरेन्द्र सिंह पु
 श्री सुरजारा मगा


मजमन उदय सिंह वसोका नबीम

19996

802



पट्टा देने वाला



पट्टा लेने वाला



गवाह

दोनों पक्षों एवं गवाह के हस्ताक्षर/चिन्ह अंगुठा हमारे सामने करवाये गये।

श्रीमती सावित्री



संजीव कुमार

Sanjeev Kumar

लालचंद नम्बरदार

नरेंद्र सिंह

Narendra Singh

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 1323 आज दिनांक 14/08/2002 को बही नः 1 जिल्द नः 172 पृष्ठ नः 69 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,696 के पृष्ठ सख्या 25 से 26 पर चिपकाई गयी।

दिनांक 14/08/2002

(Signature)
संयुक्त अतिरिक्त जिल्दकारी
वक्ताची दादरी



8520